न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरु)

बइजलास इन्द्राजसिंह R.A.S.

वाद संख्या - 96/2019

निर्णय दिनांक 11.12.2019

1. सुरेश कुमार
2. रमेश कुमार
पुत्रगण रामपाल जाति जाट निवासीगण किरतान तहसील राजगढ़ जिला चूरु

-वादीगण

बनाम

1. रामपाल पुत्र टेकूराम जाति जाट निवासी किरतान तहसील राजगढ़ जिला चूरु
2. आई सी आई सी आई बैंक लि० शाखा पिलानी जरिए शाखा प्रबन्धक
3. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा राजगढ़ जरिए शाखा प्रबन्धक
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजगढ़ जिला चूरु

-प्रतिवादीगण

5. मंजुदेवी पुत्री रामपाल जाति जाट निवासी किरतान तहसील राजगढ़ जिला चूरु

- गौण प्रतिवादीनी

दावा घोषणात्मक अन्तर्गत धारा 88 R.T. Act.

उपस्थित :- 1. श्री कुन्दन यादव अधिवक्ता वास्ते वादी
2. " कुमरपाल अधिवक्ता वास्ते प्रतिवादी सं. 1 व गौण प्रतिवादीनी
3. पैरोकार राज वास्ते प्रतिवादी सं. 3.

निर्णय

प्रकरण से सम्बन्धित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि गत ख०न० 169/58 तादादी 59 बीघा 10 बिस्वा तथा गत ख०न० 74 तादादी 13 बीघा 11 बिस्वा रोही मौजा किरतान तहसील राजगढ़ जिला चूरु में स्थित है जो वादीगण के दादा टेकूराम की 1/2 हिस्सा की खातेदारी कृषि भूमि थी। यही विवादित कृषि भूमियाँ है/ वास्ते मुलाहिजा राजस्व रिकार्ड संलग्न वाद है। भू प्रबन्ध विभाग बीकानेर द्वारा सम्वत 2062 में गत ख०न० 169/58 मीन के हाल ख०न० 155 तादादी 0.05 है० तथा ख०न० 169/58 मीन के हाल ख०न० 156 तादादी 11.45 है० तथा गत ख०न० 74 के हाल ख०न०

0.01 हे० ख० न० 498/155 मी० तादादी 0.0250 हे० तथा ख.न. 500/363/156 मी० तादादी 0.16 हे० कुलतादादी 0.1950 हे० प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से में आई तथा ग्राउ ख० न० 360/156 तादादी 3.55 हे० ख० न० 362/156 तादादी 2.0200 हे० कुल तादादी 5.765 हे० रोही मौजा किरतान प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा मे आई जो वादीगण, प्रतिवादी सं. 1 व गौण प्रतिवादीनी की दादालाई कृषि भूमि है। वादीगण, प्रतिवादी सं. 1 व गौण प्रतिवादीनी हिन्दू धर्म को मानने वाले व हिन्दू धर्म की मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार दादालाई कृषि भूमि में पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री को जन्म से ही हक अधिकार होते है। प्रतिवादी सं. 1 रामपाल जो कि परिवार का कर्ता खानदान होने के कारण वादीगण के दादा ग्रेरुराम का स्वर्गवास होने के बाद उक्त दादालाई कृषि भूमि का इन्तकाल संख्या 167 दिनांक 8.7.98 व इन्तकाल सं. 78 रोही ग्राम किरतान वादीगण के पिता, ताऊ, दादी, भुवा के ब. हि. ब. दर्ज हुआ परन्तु प्रतिवादी सं. 1 कर्ता खानदान होने के कारण हमारा हिस्सा अकेले के नाम हो गया जिस कारण प्रतिवादी सं. 1 अपने आपको अकेला सम्पूर्ण हिस्से का खातेदार काश्तकार मानने लगा है तथा वादीगण को ऐलानिया धमकी देता है कि उक्त कृषि भूमि मेरे अकेले के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है इसलिए वादीगण को उनका 1/4 - 1/4 हिस्सा को काश्त नही करने देगा तथा अन्य किसी प्रभावशाली व्यक्ति को रहन, बेच करेगा ऐसी स्थिति में वादीगण अपने 1/4 - 1/4 हिस्से को अलग से राजस्व रिकार्ड में घोषित करवाने के अधिकारी है।

वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 को काफी बार कहा व कहलवाया कि विवादित कृषि भूमि में गलत रूप से अकेले के नाम से दर्ज हिस्सा को वादीगण के हिस्से के मुताबिक 1/4 - 1/4 हिस्सा तथा अपने 1/4 हिस्सा व गौणप्रतिवादीनी के 1/4 हिस्सा को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे परन्तु प्रतिवादी सं. 1 ने ऐसा मानने से दिनांक 30.3.19 को बमुकाम किरतान में साफ इन्कार कर दिया लिहाजा इसी दिनांक से वादीगण को वाद्पत्र व वादाधार हासिल है। विवादित कृषि भूमि बैंक के हक में रहन है मगर वादपत्र के अनुतोष में बैंक के रहन बदस्तूर रखी जा रही है जिस कारण बैंक आवश्यक पक्षकार नही होने से बैंक हित प्रभावित नही होते है जिस कारण बैंक को पक्षकार वाद संयोजित नही किया गया है। लिहाजा घोषित किया जावे कि विवादित कृषि भूमि ख० न० 360/156 तादादी 3.55 हे० ख० न० 362/156 तादादी 2.0200 हे० ख.न. 154 तादादी 0.0100 हे० ख.न. 498/155 तादादी 0.0250 हे० ख.न. 500/363 तादादी 0.16 हे० कुल तादादी 5.765 हे० रोही मौजा किरतान में वादीगण प्रत्येक 1/4 - 1/4 हिस्सा के प्रतिवादी सं. 1, 1/4 हिस्सा के व गौण प्रतिवादीनी 1/4 हिस्सा की खातेदार काश्तकार है आदि - आदि पेश कर इसी अनुरूप घोषित किया जा कर राजस्व रिकार्ड में अमल

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नियमानुसार तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 व गॉण प्रतिवादीनी जरिए अधिवक्ता व स्वयं हाजिर अदालत होकर इकबाल दावा पेश किया।

बहस उभय पक्ष सुनीगई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादपत्र के अभिवचनों के अनुसार विवादित कृषि भूमि वादीगण, प्रतिवादी सं. 1 व गॉण प्रतिवादीनी के परिवार की पुश्तैनी कृषि भूमि है जो पूर्व में वादीगण के दादा टीकाराम के खातेदारी की रही है तथा विरासतन इन्तकाल के द्वारा प्रतिवादी सं. 1 के खातेदारी में दर्ज हुई है जिस तथ्य की पुष्टि प्रतिवादी सं. 1 व गॉण प्रतिवादीनी के द्वारा प्रस्तुत इकबालदावा से होती है तथा वाद पत्र में चाहे गये अनुतोष के अनुसार बैंक के हित प्रभावित नही होते है ऐसी सूरत में वाद वादीगण प्रस्तुत इकबालदावा से पुष्ट व प्रमाणित होता है जिस कारण स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त निवेचन के अनुसार वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री किया जाता है तथा घोषित किया जाता है कि विवादित कृषि भूमि ख० न० 360/156 तादादी 3.55 है० ख० न० 362/156 तादादी 2.02 है० ख० न० 154 तादादी 0.0100 है० ख० न० 498/155 तादादी 0.0250 ख० न० 500/363 तादादी 0.16 है० कुल तादादी 5.765 है० रोही मौजा किरतान में वादीगण प्रत्येक 1/4, 1/4 हिस्से का, प्रतिवादी सं. 1 1/4 हिस्से का व गॉण प्रतिवादीनी 1/4 हिस्से की खातेदार काश्तकार है। विवादित कृषि भूमि सम्बन्धित बैंक के रहन बदस्तूर रहेगी। खर्चा पक्षकारान वाद अपना-अपना वहन करेगे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.12.19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)